



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1948 (श0)

(सं0 पटना 981) पटना, बुधवार, 12 अगस्त 2026

सं० 10/प्र0गू0स्था0-03/2024-1022

समाज कल्याण विभाग
(राज्य बाल संरक्षण समिति)

संकल्प

12 अगस्त 2026

विषय:— समाज कल्याण निदेशालय अंतर्गत संचालित/निकट भविष्य में संचालित होने वाले 23 पर्यवेक्षण गृह (बालक), 01 पर्यवेक्षण गृह (बालिका), 01 विशेष गृह एवं 09 सुरक्षित स्थानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 330 गृह रक्षकों को रखे जाने एवं इसके निमित्त कुल रू0 14,53,35,960/- (चौदह करोड़ तिरपन लाख पैंतीस हजार नौ सौ साठ रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय की स्वीकृति।

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा नियमावली, 2017 के तहत राज्य के अनाथ, परित्यक्त एवं विधि विवादित बच्चों के देख-रेख एवं संरक्षण हेतु विभिन्न प्रकार के गृह यथा—पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित स्थान संचालित किये जाने का प्रावधान है।

- उक्त योजना के अधीन समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से 168 गृहों की संचालन की स्वीकृति विभागीय संकल्प सं०-1567 दिनांक-06.09.2016 के द्वारा प्रदान की गयी है जिसके आलोक में वर्तमान में 24 पर्यवेक्षण गृह (बालक/बालिका), 01 विशेष गृह तथा 09 सुरक्षित स्थान संचालित है।
- समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत संचालित उपरोक्त गृहों में आवासित विधि विवादित बच्चों के संलिप्त अपराधों की प्रकृति के दृष्टिगत आपसी झगड़ों के रोकथाम एवं सुरक्षा हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा गार्ड की सेवा ली जा रही थी। इन गृहों में आवासितों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में संचालित/ निकट भविष्य में संचालित होने वाले सभी गृहों में गृह रक्षकों को रखे जाने की आवश्यकता पर विचार किया गया।
- अतः सम्यक विचारोपरांत समाज कल्याण निदेशालय अंतर्गत संचालित/निकट भविष्य में संचालित होने वाले 23 पर्यवेक्षण गृह (बालक), 01 पर्यवेक्षण गृह (बालिका), 01 विशेष गृह एवं 09 सुरक्षित

स्थानों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 330 गृह रक्षकों को रखे जाने एवं इसके निमित्त कुल ₹0 14,53,35,960/- (चौदह करोड़ तिरपन लाख पैंतीस हजार नौ सौ साठ रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. बाद के वर्षों में गृह रक्षकों की कोई अधिसीमा नहीं होगी एवं भविष्य में संचालित होने वाले गृहों में आवश्यकतानुसार गृह रक्षकों को रखा जा सकेगा।
 6. गृह रक्षकों का मानदेय गृह विभाग, बिहार, सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय के अनुरूप देय होगा।
 7. गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति एवं उनके मानदेय भुगतान तथा अन्य बिन्दुओं के संबंध में सभी संबंधित जिला पदाधिकारी को अलग से विभाग स्तर से निदेश निर्गत किया जायेगा।
 8. गृह रक्षकों के मानदेय का भुगतान मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष 02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-106-सुधारक सेवाएँ, उपशीर्ष-0001 प्रतिप्रेक्षण गृह, विपत्र कोड 51-2235-02-106-0001 के संगत विषय शीर्षों में उपलब्ध बजटीय उपबंध से किया जायेगा।
 9. प्रस्ताव पर संचिका सं0-10/प्र0गृ0स्था0-03/2024 के टिप्पणी पृ0-66/टि0 पर दिनांक-05.08.2026 को मद संख्या-10 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
 10. यह आदेश संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।
- आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच0आर0 श्रीनिवास,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 981-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>